रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67 / 2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –6 ● कानपुर 16 से 31 मार्च 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य –₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन का मामला निपटना ही चाहिये

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के पंजीयन का मामला काफ़ी दिनों से सरकार के पास निस्तारण के लिए पड़ा है लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ़ न तो ध्यान दिया जा रहा है और न ही कोई निर्णय लिया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश के हजारों चिकित्सक उहापोह की स्थिति में हैं वे न तो अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और न ही हट पा रहे हैं, इस मुद्दे को निपटवाने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 काफ़ी दिनों से प्रयासशील है कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि शीघ्र ही कोई परिणाम आने वाला है परन्तु दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं शासन में बैठे अधिकारियों के कान में जूँ तक नहीं रेंग रही है। जब उनसे यह कहा जाता है कि इस पर कोई शीघ्र निर्णय लीजिए तो मौखिक रूप से उत्तर देते हैं कि आपके लिए शासनादेश है, आप एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में आते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कौन रोकता है ?लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक को यदि चिकित्सा व्यवसाय करना है तो उस चिकित्सक को अपनी परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये परन्तु 4 जनवरी, 2012 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी आज 4 वर्षों के बाद भी किसी भी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक का पंजीयन तो दूर आसानी से उसका पंजीयन आवेदन भी नहीं स्वीकार करते। यद्यपि पंजीयन के इस मामले को सुलझाने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 ने प्रदेश के हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को निर्देशित किया कि प्रत्येक चिकित्सक बोर्ड द्वारा प्रेषित पंजीयन के प्रारूप को पूर्ण रूप से भरकर व अपने अर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करके अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को या तो स्वयं जाकर सम्मिलित करा दें या फिर स्पीडपोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर दें और इसकी एक प्रति बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करें कुछ चिकित्सकों द्वारा इस निर्देश को माना गया लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अभी भी इस विषय पर अपनी धारणा स्पष्ट नहीं की गयी, यद्यपि यह सत्य है कि जो चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है लेकिन जो हमारा अधिकार है वह नहीं मिल पा रहा है जिससे कि चिकित्सक पूरे मन के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का लाभ तभी उठा सकता है जब उस पर कोई मानसिक दबाव न हो यदि कोई भी चिकित्सक मानसिक दबाव में काम करता है तो न तो उसकी प्रतिभा में निखार आता है और न ही वह अपनी योग्यता के साथ न्याय कर पाता है चूंकि हर समय वह भयग्रस्त रहता है, पता नहीं कब ! उसकी जांच हो जाये और वह व्यर्थ के पचड़े में पड़ जाये ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में बोर्ड द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है परन्तु इसे संयोग ही कहा जायेगा कि अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं यदि हम इसकी गम्भीरता पर जायें तो एक बात निकल कर आती है कि यदि सरकार इस दिशा में उदासीन है तो हमारे चिकित्सक भी कम उदासीन नहीं हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि यह चिकित्सक धर्नाजन में इतना लिप्त हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की चिन्ता ही नहीं हैं और कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो यह कहते हैं कि हम व्यर्थ में परेशान हों ! जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा !! यह धारणां किसी भी समूह के लिए लाभकारी नहीं होती है क्योंकि यदि हम सामूहिक लाभ की अपेक्षा करते हैं तो हमें सामूहिक रूप से किये जाने वाले कर्तव्यों में सहभागिता भी निभानी होती है जो लोग बिना सहभागिता के लाभ की कामना करते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि दायित्वों से इतर होकर सफ़लता आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसलिये हमें अपने लिये कार्य करने चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में सफ़लता का तात्पर्य यह है कि जो आदमी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसे अपने क्षेत्र में काम करने के लिये पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये जिससे की वह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस चिकित्सा पद्धति को जो अधिकार प्राप्त हुये हैं उन अधिकारों का पूरे तौर पर अनुपालन किया जाये और जो सबसे बड़ी विकट समस्या पंजीयन की है, उस समस्या का समाधान हो जब तक इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक कार्य करने में न तो आनन्द ही आ रहा है और न ही वह अधिकारिता मिल पा रही है जो प्राप्त होनी चाहिये। पंजीयन का मुद्दा दिन प्रतिदिन पुराना होता जा रहा है और इस मामले का निस्तारण होना ही चाहिये, लेकिन जब हम यह विचार करते हैं कि यह पंजीयनकरण का मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है तो एक बात स्पष्ट नज़र आने लगती है कि इस मामले में हमारे चिकित्सकगण भी पूरा ज़ोर नहीं लगा रहे हैं यदि हमारे चिकित्सकों ने पूरे प्रदेश में पंजीयन के लिये आवेदन किया होता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती ! लेकिन परिदृष्य इससे एकदम विपरीत है पूरे प्रदेश से जितने चिकित्सकों ने पंजीयन हेतु आवेदन किया है उनकी संख्या नगण्य सी ही है। चिकित्सकों की यह उदासीनता इस बात को दर्शाती है कि या तो चिकित्सक अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं है या फिर उनके अन्दर कोई भय है ! इसी भय के वशीभूत होकर वह पंजीयन के लिये आवेदन करने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नहीं जाते हैं जब हम आवेदन ही नहीं करेंगे तब अधिकारी उसपर निर्णय कैसे लेगा ?जबकि यह सारे के सारे चिकित्सक जानते हैं कि यदि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है तो चिकित्सक को अपने चिकित्सा कार्य हेतु पंजीयन का आवेदन अवश्य करना होगा। बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गत दो वर्षों से एक सघन अभियान चला रखा है, इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो और अधिकारिता को समझते हुये अपना कर्तव्य करे, परन्तु इतने प्रयासों के उपरान्त भी अभी भी हमें वह अपेक्षित सफ़लता नहीं मिल पाई है जो चिकित्सकों की तरफ़ से मिलनी चाहिये थी लेकिन हम न तो निराश हैं और न ही पथ बदल रहे हैं, जैसा कल हमने कहा था उस बात पर आज भी अटल रहते हुये यह प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले का समाधान हो। इस समाधान के लिये नित्य नई रणनीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन एक सत्य हम सभी को स्वीकार करना होगा कि समाधान होने के उपरान्त भी सभी चिकित्सकों को पंजीयन हेतु आवेदन तो करना ही होगा, सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये जो भी दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे उसके मूल में पंजीयन ही होगा, पंजीयन का मुद्दा प्रदेश में तब तक रहेगा जब तक 820 / 2002 का मुकदमा चलता रहेगा और इसकी निगरानी होती रहेगी कोई पंजीयन के मुद्दे का विरोध भले ही करे लेकिन हम सदैव से ही इस मुद्दे के समर्थक रहे हैं इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और इस विधा को सीखकर इस विधा से प्रैक्टिस करने वाला चिकित्सक उसी भांति होता है जिस प्रकार अन्य चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक, इसलिये इस विधा के चिकित्सकों को भी वही अधिकार मिलने चाहिये जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सकों को प्राप्त हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के चिकित्सक को अपने आपको किसी से कमतर नहीं मानना चाहिये क्योंकि इस विधा का चिकित्सक भी अन्य विधाओं के चिकित्सक की भांति विधिसम्मत ढंग से स्थापित शिक्षण संस्थाओं में एक निश्चित अवधि के पाठ्यक्रम पढ़कर सफ़लता प्राप्त कर लेता है और इस सफ़लता के बाद अपने राज्य की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिषद में पंजीकरण कराता है और इस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा का यह चिकित्सक एक मान्यता प्राप्त चिकित्सक की भांति ही तैयार होता है, पूर्व की बात अलग थी अब तो प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में विधिसम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये बकायदा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान को विधिसम्मत मानते हुये कार्य करते रहने का आदेश दिया था इस तरह से प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति भी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रुप में आकर खड़ी हो गयी है, जब इस चिकित्सा पद्धति से कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं तो फिर अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का भी पंजीयन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में होना चाहिये परन्तु आज तक पंजीयन की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा शुरु नहीं की गई यह दोहरी व्यवस्था अब इलेक्ट्रो होम्योपैथों को स्वीकार नहीं हो रही है, कहने को तो अधिकारों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है परन्तु जब अधिकारों के स्वीकारता की बात आती है तो परिणाम शून्य ही दिखते हैं। अब यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है क्योंकि जब तक पंजीयन नहीं होता है तब तक हम स्वतन्त्र भाव से कार्य नहीं कर पाते हैं, यद्यपि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ झोलाछाप की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि हमारा चिकित्सक अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक की भांति ही शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पंजीकृत होता है लेकिन जब उसके विरुद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होती है तो पंजीयन के आभाव में अधिकारी उस चिकित्सक के विरुद्ध वही कार्यवाही करते हैं जो एक झोलाछाप के विरुद्ध की जाती है, यह एक अलग बात है कि जब यह लड़ाई लड़ी जाती है तो वह चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी से अलग हो जाता है लेकिन प्रथम बार में तो उसके विरुद्ध वहीं कार्यवाही होती है जो नहीं होनी चाहिये अधिकार पाने के उपरान्त भी यदि हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है या उनकी स्वीकारिता नहीं होती है तो ऐसे अधिकार किस काम के ?इनसब बातों को लेकर प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ आन्दोलित है उसके अन्दर एक दर्द है जो अभी वह कह नहीं पा रहा है लेकिन जब दर्द बर्दाश्त की सीमा पार कर लेगा तो यह चिकित्सक विचलित होकर आन्दोलन की दिशा बदल देगा लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश सिंह यादव जी जिनके समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के पंजीकरण का मामला संज्ञान में लाया जा चुका है वह शीघ्र से शीघ्र इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर कोई ऐसा

शेष अंतिम पेज पर

- पंजीयन का मुद्दा प्रमुख बाकी सब गौण
- अब तो क्रियान्वयन करना ही होगा
- चिकित्सकों को जुड़ना चाहिये
- यह लड़ाई तो आपकी ही है
- पहले ही बहुत देर हो चुकी है
- अधिकारों को अधिकार की तरह लेंगे

जो लिखा वह दिखा

कहा जाता है कि सच्चे मन से जो कुछ भी कहा या लिखा जाता है वह सामने ज़रुर आता है कुछ लोग इसे महज़ एक मन का भाव मानते हैं लेकिन हम इस वास्तविकता को हृदय से स्वीकार करते हैं, 04 जनवरी, 2012 को जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये शासनादेश जारी किया उसके बाद इस शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु 02 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने सभी मण्डल अपर निदेशकों सहित प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 04 जनवरी, 2012 के आदेश का शासकीय आदेशानुसार परिचालन कराया जाये उसके तत्काल बाद ही हमने गज़ट के माध्यम से प्रदेश के समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से कहा था कि अब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अधिकार प्राप्त हो चुकी है इसलिये अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के भांति ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी अपने चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करना चाहिये इसके लिये बा कायदा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा एक सघन जागरुकता अभियान चलाया गया और यह प्रयास किया गया कि शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों तक यह सूचना पहुँचे कि अब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय अनुमति मिल चुकी है इसलिये अपने अधिकारों को समझते हुये कर्तव्य का पालन किया जाये। प्रारम्भ में हमने पंजीयन का मुद्दा उठाया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और तो और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतागण थे उन्होंने तो हमारे इस विचार का मज़ाक तक उड़ा डाला परन्तु हम तनिक भी विचलित नहीं हुये चूँकि हमारा मानना है कि जिस प्रदेश में आपको कार्य करना है तो वहां कार्य करने के लिये उस प्रदेश के प्रचलित कानूनों का पालन करना अति आवयश्यक है जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित कर दिया है कि उ0प्र0 में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को प्रदेश सरकार ने अक्षरशः पालन करते हुये इसकी अनिवार्यता स्वीकार कर ली, इस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अपनी परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में आप प्रैक्टिस करते हैं उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ पंजीयन का आवेदन देना आवश्यक हो गया एक तरफ़ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता की बात करते हैं दूसरी तरफ़ इन अधिकारों को स्वीकार करने से कतराते हैं तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ?बिना पंजीयन के प्रैक्टिस करने वाला चिकित्सक भले ही मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का हो वह चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में आता है तो फिर हम अपने आपको इस नियम से अलग कैसे कर सकते हैं ऐसे कर्ता–धर्ता जो पंजीयन का विरोध करते हैं या यह तर्क देते हैं कि पंजीयन केवल मान्यता प्राप्त पद्धतियों के लिये ही है ऐसे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास के सहायक नहीं हैं, इसलिये अस्तु , किन्तु और परन्तु से ऊपर उठकर सिर्फ़ वही कार्य करना चाहिये जो वैधानिकता की सीमा में आता हो पिछले दिनों जब हम जागरुकता अभियान चला रहे थे तो हर अभियान में हम अपने चिकित्सकों से यही निवेदन करते थे कि हर जनपद में एक ऐसी टीम बननी चाहिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्यों का निरीक्षण करे और जहाँ पर कोई कमी हो उसे पूरा करने में मदद करे हमारी इस बात को तब भी बहुत हल्के से लिया गया था लेकिन हमारी वह सोच आज सही दिख रही है, पिछले दिनों शासन ने आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों के लिये एक नये निर्देश जारी करते हुये आदेशित किया है कि इन चिकित्सकों का पंजीयन सी0एम0ओ0 कार्यालय में होने के साथ–साथ अपने विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ भी कराना होगा और यह क्षेत्रीय अधिकारी अपने इन चिकित्सकों के कार्यों की निगरानी करेगा। हमारा जो आशय था वह आज सही हो रहा है हम यह नहीं कहते कि हम त्रिकालज्ञ हैं लेकिन जो लिखा वह दिख रहा है।

क्या आप जानते हैं ?

आपके अधिकारों की लड़ाई सदा से

बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, मेडिसिन उ0प्र0 ही लड़ता आया है

प्राप्त अधिकार 4 जनवरी, 2012 व अनुपालन हेतु आदेश 2 सितम्बर , 2013 का

अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षा करने के विरोध में हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलन्द करें

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION March 2016

Name of the course	28 th March, 2016 Monday		29 th March, 2016 Tuesday		30 th March, 2016 Wednesday		31 st March, 2016 Thursday	
	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting
M.B.E.H. 1st. Professional	Anatomy 1st.	Anatomy 2nd.	Physiology 1st.	Physiology 2nd.	Pharmacy	Philosophy	XX	XX
M.B.E.H. 2nd. Professional	Pathology 1 st.	Pathology 2nd.	Hygiene and Health	M. Juris.Prud. & Toxicology	Materia Medica	Pract of Med. 1 st.	Pract of Med. 2 nd.	XX
M.B.E.H. Final Professional	Midwifery & Gynics. 1st.	Midwifery & Gynics. 2nd.	Opthalmology 1st.	Opthalmology 2nd.	Pract of Med. 1st.	Pract of Med. 2nd.	Materia Medica	XX
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy & Philosophy	XX		XX	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	XX	Hygiene & Health	XX	Environmental Science	XX	XX	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	XX	M.Jurisprudence & Toxicology	XX	Dietetics	XX	XX	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	XX	Materia Medica	XX	Practice of Medicine	XX	XX	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy-Philosophy & Materia Medica	XX	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	XX	Midwifery Gynics Opthalmology & Practice of Med.	XX

Timing < 1st. Meeting : 8:00 A.M.to 11:00 A.M.
2nd. Meeting : 2:00 P.M. to 5:00 P.M.

Atteeq Ahmad
Examination Incharge

हर तरफ़ अब तेरे ही अफ़साने हैं....

मुखैटा लगाना व चेहरा बदलना हर एक के बस की बात नहीं होती है। सामान्य भाषा में तो यही कहा जाता है कि जो लोगों को दिशा भ्रमित करना चाहते हैं वह लोग अपने चेहरे बदलते रहते हैं, कभी–कभी कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिये मुखैटे जैसे शब्दों के जाल में फंसे रहते हैं लेकिन यह सारी बातें कभी भी दीघ्रजीवी नहीं होती हैं, कुछ ही क्षणों में जब लोगों के सामने यथार्थ व वास्तविक तत्व सामने आते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। वैसे तो यह कार्य हंस किया करते हैं लेकिन आज कल दूध ही सही नहीं मिलता है तो बेचारा हंस नीर और क्षीर में वास्तविक अन्तर कैसे करे ?इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी आज कुछ ऐसे तत्व प्रविष्ट हो चुके हैं जिनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अन्तर होता है, ऐसे लोगों का तो कुछ खास नहीं बिगड़ता है लेकिन चल रहे आन्दोलन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि बार–बार लिखा जा रहा है कि वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन जिस पड़ाव पर है वह सिर्फ़ कुछ पाने की तरफ़ बढ़ रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ते कदमों को यदि हम रोक नहीं सकते हैं तो उन कदमों को घसीटने का प्रयास तो कर ही देते हैं। इस समय पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आन्दोलन चरम पर है हर आन्दोलनकारी कुछ न कुछ देने की घोषणा कर रहा है यह तो समय ही बतायेगा कि कौन किसको क्या दे पाता है ?और कौन किससे क्या ले पाता है ?लेने देने की प्रक्रिया अनवरत है और यह सदा चलती ही रहेगी। देश और प्रदेश दोनों जगह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है एक निश्चित दायरे में कार्य किया जा सकता है फिर भी लोगों को यह स्वीकार नहीं है, कार्य करने के लिये अधिकार होने चाहिये और यह अधिकार भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 जून, 2011 से एकदम स्पष्ट है, अब यह हम सब का दायित्व है कि हम अपने प्राप्त अधिकारों से अधिकारिता पूर्वक कार्य करते हुये आगे की राह आसान करनी चाहिये लेकिन पता नहीं लोग अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं या न समझने का नाटक करते हैं !

अधिकारिता को मान्यता से जोड़ना कहीं तक ठीक नहीं है अधिकारिता हमें कार्य करने का अधिकार देती है और मान्यता प्राप्त अधिकार से किये गये कार्यों से पाई गयी उपयोगिता के आधार पर प्रदान की जाती है हम भी मान्यता के पक्षधर हैं और यह चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कों मान्यता मिले लेकिन मान्यता के लिये जो निर्धारित मापदण्ड हैं उनसे मुँह भी नहीं मोड़ते हैं।

समय बदल चुका है, विकास हर क्षेत्र में बड़ी तेज़ी के साथ हुआ है इसलिये कुछ भी पाने के लिये हमें आज की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मान्यता पाने के लिये हर चिकित्सा पद्धति को एक निर्धारित कसौटी से कस कर ही बाहर आना पड़ता है और आज हमारी कसौटी मान्यता के सन्दर्भ में ऐलोपैथी से न सही लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से ज़रुर की जायेगी, बातें करना अलग बात है लेकिन सच्चाई का धरातल कुछ और ही होता है हम सब इस धरातल को पहचानते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर क्षेत्र में अभी बहुत कार्य की ज़रुरत है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर साहित्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें विपुल कार्य की आवश्यकता है, सिर्फ़ बाहरी आडम्बर से काम नहीं बनता है, सच्चाई सच्चाई होती है, चेहरे चेहरे होते हैं, चेहरे से हमें बात याद आती है कि किसी राजनीतिज्ञ ने माननीय अटल जी के बारे में टिप्पणी की थी कि अटल जी तो भाजपा का मुखौटा हैं लेकिन जिस सन्दर्भ में यह बात कही गयी थी राजनैतिज्ञ स्तर पर तो ठीक हो सकती है लेकिन जीवन के वास्तविकता के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भूत और वर्तमान के परिदृष्य पर चिन्तन करते हैं तो बरबस मन यह गा ही उठता है .....

जब भी जी चाहा नई दुनिया बसा लेते हैं लोग! एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग!!

जीवन की सार्थकता लक्ष्य पाने में है लक्ष्य से भटकने में नहीं, आदमी का यह उद्देश्य होना चाहिये कि तब तक अनवरत कार्य किया जाये जब तक जो हमारा ध्येय था वहां तक पहुँच न जायें कवि ने ठीक ही कहा है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना मुझको पथिक विश्राम कहां ?आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन जिस चरम पर है यदि वह उसी गति से चलता रहा तो निश्चित रूप से आन्दोलन सफ़लता को प्राप्त करेगा यदि आन्दोलन की दिशा बदली गयी तो हो सकता है कि परिणाम कुछ अपेक्षित न आयें आज ज़रूरत है सिर्फ़ कार्य करने की और कार्य करते हुए सरकार पर यह दबाव बनाना है कि हमारे कार्यों का मूल्यांकन हो और मूल्यांकन के आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को भी काम करने का अन्य चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की भाँति सारी सुविधायें प्राप्त हों तभी हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा हाँ ! यदि कार्य करने के उपरान्त भी सरकारों द्वारा इस चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा की जाती है तब तो आन्दोलन को मोड़ देने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक उपेक्षा स्वीकार नहीं होती है लेकिन यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि यदि हम अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित होना होगा क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यदि प्राप्त अधिकारों का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो उन अधिकारों का पाना न पाना व्यर्थ होता है।

आज जो भी आन्दोलन चलाये जा रहे हैं वह अधिकार प्राप्त करने के लिए ही हैं इसलिए हम कार्य करते हुए आन्दोलन को गति दें।

क्या आप बिना पंजीयन प्रैक्टिस कर रहे हैं ?
यदि हाँ
तो शीघ्र ही
अपना पंजीयन करायें
याद रखें
बिना पंजीयन के प्रैक्टिस करना
अपराध ही नहीं
अपितु
कानून का उल्लंघन भी है
इससे बचें

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा जनहित में जारी

डट कर कार्य करें इलेक्ट्रो होम्योपैथ – डा0 इदरीसी

गतांक से आगे

पिछले अंक का प्रश्न था – मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय जाओ तो वहां के अधिकारी भगा देते हैं इसका निदान आप लोगों के पास है, क्या हम लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे ?

उत्तर– इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्वतन्त्र चिकित्सा पद्धति है पिछले दिनों 04 जनवरी, 2012 को उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के पक्ष में शासनादेश जारी किया जा चुका है और इस शासनादेश के अनुपालन हेतु 02 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा भी सभी मण्डल अपर निदेशकों सहित सभी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं इसलिये पंजीयन कराना आवश्यक है, हाँ ! यह बात सत्य है कि कुछ अधिकारियों द्वारा अनाधिकारिक चेष्टा की जा रही है हम प्रयासशील हैं शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा।

प्रश्न– सर रजिस्ट्रेशन क्या कराना ही पड़ेगा ?

उत्तर– रजिस्ट्रेशन सभी को कराना है यह सरकारी आदेश के साथ–साथ न्यायालय का आदेश है जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वह न केवल विधिविरुद्ध कार्य कर रहे हैं बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना भी करते हैं इसलिये वैधानिक ढंग से कार्य करने के लिये अपने पंजीयन का आवेदन प्रेषित करना आवश्यक है।

प्रश्न– सर लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के लिये ही है ?

उत्तर– यह मात्र भ्रम फैलाने वाली जैसी बात है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता आज हर चिकित्सक को है मान्यता की कोई बाधता नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिये कि प्रदेश में झोलाछापी समाप्त करने के लिये एक मुकदमा लगाया गया जिसकी संख्या है 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन इस वाद में पारित आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थायें प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहां व चिकित्सा व्यवसाय करने वाले जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां अपना पंजीकरण करायेंगे, इस प्रकार विधिसम्मत ढंग से प्रैक्टिस करने हेतु हर चिकित्सक को पंजीयन हेतु आवेदन करना है।

प्रश्न– सर रजिस्ट्रेशन का फ़ार्म सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में नहीं दिया जाता है।

उत्तर– कोई बात नहीं हमने हर चिकित्सक के लिये रजिस्ट्रेशन के फार्म का प्रोफ़ार्मा तैयार करवा दिया है हर चिकित्सक के पास भेजा भी गया है जिसे नहीं मिला हो वे बोर्ड कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न– सर रजिस्ट्रेशन का फ़ार्म भेजना कैसे है ?

उत्तर– फार्म को विधिवत भर कर व आवश्यक प्रपत्र संलग्न करते हुये शपथ पत्र के साथ सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में प्रस्तुत करें यदि सीधे जमा करने में भय लगता है तो डाक के माध्यम से प्रेषित कर दें और उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित भी रखें।

प्रश्न– सर रजिस्ट्रेशन नम्बर तो जारी नहीं होता है।

उत्तर– रजिस्ट्रेशन नम्बर देना मुख्य चिकित्साधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है रजिस्ट्रेशन नम्बर पाना उतना आवश्यक नहीं है

डा0 एम0एच0 इदरीसी प्रश्नों के उत्तर देते हुये

जितना कि रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करना।

प्रश्न– सर बोर्ड के अलावा अन्य चिकित्सकों को भी क्या आवेदन करना है ?

उत्तर– संस्था विशेष की बात नहीं है जिस चिकित्सक को विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे आवेदन करना ही पड़ेगा।

प्रश्न– सर रजिस्ट्रेशन नम्बर मिलना कब से शुरु हो रहा है ?

उत्तर– सरकार से पत्र व्यवहार लगातार किया जा रहा है शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद है।

प्रश्न– सर इन्तज़ार कब तक करें ?

उत्तर– सरकारी प्रक्रिया है हर बिन्दु पर गम्भीर विचार मंथन होता है प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रश्न– सर हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं ?

उत्तर– नियमतः जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसी राज्य की विधि सम्मत ढंग से स्थापित परिषद में पंजीयन होना चाहिये।

प्रश्न– सर दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में मान्य है।

उत्तर– रजिस्ट्रेशन प्रान्त में ही मान्य होता है।

प्रश्न– सर क्या अब भी डिग्री दी जा सकती है ?

उत्तर– 18 नवम्बर, 1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में डिग्री नहीं दी जा सकती है, इसी तरह भारत सरकार ने भी अपने आदेश दिनांक 25–11–2003 में स्पष्ट किया है कि पूर्णकालिक पाठ्यक्रम व डिग्री व डिपलोमा नहीं प्रदान किये जा सकते हैं।

प्रश्न– सर फिर बी0 शब्द से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– जो लोग यह संक्षिप्त उच्चारण देते हैं वही ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं हम तो बी0 से बोर्ड शब्द परिभाषित करते हैं।

प्रश्न– सर यह अलग–अलग कब तक चलेगा ?

उत्तर– अलग–अलग कोई नहीं है सबको काम करने का अधिकार है बशर्ते नियमानुसार कार्य किया जाये।

प्रश्न– सर राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्या स्थिति है ?

उत्तर– 21 जून, 2011 को भारत सरकार ने आदेश जारी कर पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान पर अपनी सहमति व्यक्त की है, पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम करने में कोई रोक नहीं है।

प्रश्न– सर मध्य प्रदेश में तो कुछ विश्वविद्यालय इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स संचालित कर रहे हैं ?

उत्तर– कोर्स तो कोई भी चला सकता है परन्तु उनकी वैधानिकता पंजीयन से ही तय होती है।

प्रश्न– सर दवायें नहीं मिलती हैं ?

उत्तर– यह बात सरासर गलत है बहुत सारी कम्पनियां इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवायें निमार्ण कर रही हैं और वे आसानी से उपलब्ध भी हैं।

प्रश्न– सर किस कम्पनी की दवा अच्छी है ?

उत्तर– हर कम्पनी के अपने मानक होते हैं।

प्रश्न– सर हमारे लिये क्या निर्देश आप दे रहे हैं ?

उत्तर– सिर्फ़ काम करें।

प्रश्न– सर आपकी दृष्टि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भविष्य कैसा है ?

उत्तर– हर व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिये ही क्षेत्र का चुनाव करता है वर्तमान स्थिति को देखते हुये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाला समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये और भी अच्छा होगा, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।

प्रश्न– सर मान्यता कब तक मिल जायेगी ?

उत्तर– जब पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य होगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता सिद्ध हो जायेगी सरकार को मान्यता देना ही पड़ेगा।

सर आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया औा हमारी शंकाओं को दूर किया, धन्यवाद।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के .....प्रथम पेज से आगे

सकारात्मक निर्णय लेंगे जिससे प्रदेश के हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, यदि शीघ्र ही सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश का हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकत्रित होकर अपनी आवाज़ बुलन्द करेगा और अपने अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु तब तक आन्दोलित रहेगा जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने प्राप्त अधिकारों के क्रियान्वयन की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर लेता। इस आन्दोलन की रुपरेखा तय कर ली गयी है पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों का यह दायित्व है कि वह एक दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये निकाले और अपने साथियों को जागरुक करें तथा इस आन्दोलन को सफ़ल बनाने में अपना योगदान दें क्योंकि यह आन्दोलन किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक संगठन के लिये नहीं है बल्कि इस आन्दोलन की सफ़लता प्रदेश के हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथों की दिशा तय करेगा तो आइये हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ समर्पित भाव से इस आन्दोलन से जुड़ जायें और अपने उन साथियों को जागरुक करने का कार्य करें जो अभी भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं इन्हें अधिकारों के प्रति सचेत करें और एक और एक ग्यारह जैसे मुहावरे के आधार पर अपने साथियों को इस आन्दोलन से जोड़ें ताकि जो कुछ भी अधिकार हम सबने प्राप्त किये हैं उसका सुःख हम सभी लोग उठा सकें लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुये इस आन्दोलन को समर्पित हो जायेंगे, हमार प्रयास हमें तो लाभ देगा ही साथ–साथ आने वाली पीढ़ियों के लिये सफ़लता के नये द्वार खोल देंगे। मेरा–तेरा, इसका–उसका, अधिकारी–अनाधिकारी इन सब बे मतलब की बातों से ऊपर उठकर सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये संगठित हों क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे तो आईये इस कहावत को चरितार्थ करते हुये एक जुट हों और अच्छे भविष्य की कल्पना के साथ इस आन्दोलन को सफ़ल बनायें।